पटना में प्रेमजाल में फंसाकर 70 लाख की साइबर ठगी फेसबुक पर दोस्ती, फिर ऑनलाइन बिजनेस में निवेश कराया; पैसे मिलते ही युवती फरार



पटना,वेब वार्ता। पटना में साइबर ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। फेसबुक पर एक युवती से दोस्ती के बाद एक युवक को ऑनलाइन बिजनेस में निवेश कर मोटा मुनाफा कमाने का झांसा दिया गया। भरोसा कायम होने के बाद युवक ने अपनी वर्षों की जमा पूंजी से करीब 70 लाख रुपये निवेश कर दिए। रकम वापस निकालने की कोशिश की तो ठगी का खुलासा हुआ। पीड़ित ने मामले की शिकायत साइबर थाने में दर्ज कराई है। पीड़ित मूल रूप से गया का रहने वाला है और वर्ष 2006 से पटना में एक निजी कंपनी में काम कर रहा है।

फेसबुक पर पहले दोस्ती, फिर प्रेम का इजहार: पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक, फेसबुक पर एक युवती ने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। प्रोफाइल सामान्य लगने पर उसने रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। इसके बाद दोनों के बीच मैसेंजर पर बातचीत शुरू हुई। शुरुआत में दोनों के बीच सामान्य बातचीत होती थी। धीरे-धीरे युवती ने व्यक्तिगत बातें करनी शुरू कर दीं और युवक के प्रति प्रेम का इजहार भी किया। लगातार बातचीत के कारण युवक का उस पर भरोसा बढ़ता गया। इसके बाद युवती ने उसका मोबाइल नंबर लिया। दोनों फोन और फिर व्हाट्सऐप पर बातचीत करने लगे। वीडियो कॉल के जरिए भी संपर्क होने लगा। इसी दौरान युवती ने उसका भरोसा पूरी तरह जीत लिया।

'ई-रोजर शॉप' में निवेश का दिया झांसा: भरोसा कायम होने के बाद युवती ने युवक को ऑनलाइन बिजनेस के जरिए अच्छी कमाई का ऑफर दिया। उसने 'ई-रोजर शॉप' नाम के ऑनलाइन बिजनेस मॉडल के बारे में बताया और दावा किया कि इसमें पैसा लगाकर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। युवक उसके झांसे में आ गया और उसने शुरुआत में छोटी रकम निवेश की। उसे कथित तौर पर बताया गया कि उसके निवेश पर मुनाफा हो रहा है और खाते में रकम लगातार बढ़ रही है। मुनाफे की बातों में आकर युवक ने धीरे-धीरे बड़ी रकम निवेश किया। उसे लगातार यही बताया जाता रहा कि उसका पैसा सुरक्षित है और निवेश के साथ उसका रिटर्न बढ़ रहा है।

70 लाख लगाए, निकालने की कोशिश की तो खुला राज: मुनाफे के लालच और अंजान युवती पर अधिक भरोसे के चलते युवक ने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी से करीब 70 लाख रुपए ऑनलाइन बिजनेस में लगा दिए। उसे उम्मीद थी कि निवेश के बाद उसे अच्छी रकम वापस मिलेगी। जब उसने निवेश की रकम वापस निकालने की कोशिश की तो पैसे नहीं निकले। इसके बाद उसे शक हुआ। उसने युवती से संपर्क कर रकम वापस मांगी, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला।

साइबर थाने में शिकायत, जांच शुरू

ठगी का एहसास होने के बाद युवक ने पटना साइबर थाने में लिखित शिकायत दी। उसने पुलिस को फेसबुक और व्हाट्सऐप पर हुई बातचीत से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराई है। साथ ही उस मोबाइल नंबर की जानकारी भी पुलिस को दी गई है, जिससे युवती उससे बातचीत करती थी। पुलिस अब मोबाइल नंबर, डिजिटल लेनदेन और जिन खातों में रकम ट्रांसफर हुई है, उनकी जांच कर रही है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि युवती कौन है और कहीं इसके पीछे कोई संगठित साइबर ठगी गिरोह तो काम नहीं कर रहा। सोशल मीडिया की दोस्ती से रहें सावधान यह मामला सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से दोस्ती और ऑनलाइन निवेश के नाम पर होने वाली ठगी के खतरे को सामने लाता है। साइबर अपराधी पहले दोस्ती या भावनात्मक संबंध बनाकर भरोसा हासिल करते हैं और बाद में निवेश या बिजनेस में अधिक मुनाफे का लालच देकर बड़ी रकम ट्रांसफर करा लेते हैं। विशेषज्ञों की सलाह है कि सोशल मीडिया पर मिले किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर निवेश न करें। किसी भी ऑनलाइन बिजनेस या निवेश योजना में पैसा लगाने से पहले उसकी स्वतंत्र रूप से जांच करें और असामान्य रूप से

नवादा में ट्रैक्टर ने महिला को कुचला, मौत परिजन ने जानबूझकर कुचलने का लगाया आरोप, पुलिस ने गाड़ी किया जब्त



नवादा,वेब वार्ता। नवादा में तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से 51 वर्षीय महिला की मौत हो गई। यह घटना नगर थाना क्षेत्र के मेघु बिगहा गांव के पास कुरमा-ननौरा रोड पर हुई। मृतका की पहचान रतनपुर गांव निवासी जयराम मांझी की पत्नी चिंता देवी के रूप में हुई है। चिंता देवी सड़क किनारे पैदल अपने घर जा रही थी। इसी दौरान दूसरी ओर से आ रहे अनियंत्रित ट्रैक्टर ने उन्हें कुचल दिया। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से भागने की कोशिश में वाहन समेत पलट गया। घटना में चालक भी घायल हुआ, लेकिन वह मौके से फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल महिला को ग्रामीणों की मदद से तत्काल सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा गया। उन्होंने सड़क पर तेज रफ्तार वाहनों के परिचालन पर सवाल उठाते हुए कार्रवाई की मांग की। घटना की सूचना डायल 112 और नगर थाने की पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैक्टर नंबर बीआर 27 जी 2357 को जब्त कर लिया।

महिला को जानबूझकर कुचलने का आरोप: मृतका के पति जयराम मांझी ने पुलिस को दिए बयान में आरोप लगाया कि ट्रैक्टर चालक तेज और लापरवाही से वाहन चला रहा था और अनियंत्रित होकर उनकी पत्नी को कुचल दिया। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि महिला को जानबूझकर कुचला गया है। नगर थानाध्यक्ष उमाशंकर सिंह की देखरेख में पुलिस ने शव का सदर अस्पताल में पोस्टमॉर्टम कराया और फिर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस के अनुसार, पति के बयान के आधार पर मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

मुजफ्फरपुर में ढाई साल के मासूम की हत्या मां ने बिस्कुट में जहर देकर मार डाला, खुद भी खाया

ससुर बोले- बहू मेरे बेटे से झगड़ा करती थी

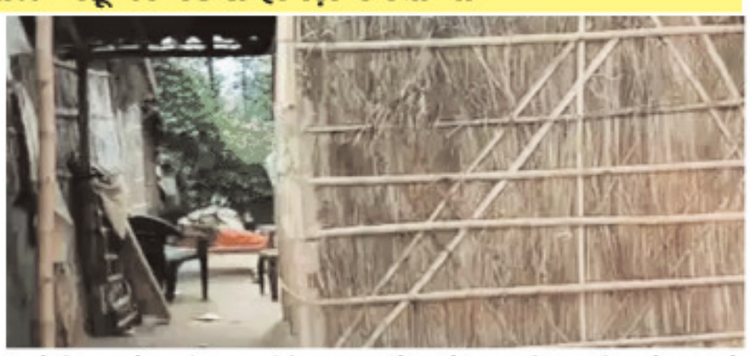

मुजफ्फरपुर,वेब वार्ता। मुजफ्फरपुर में एक मां ने अपने ढाई साल की बेटे की हत्या कर दी। आरोप है उसने बिस्कुट में जहर देकर बच्चे को मार डाला। बच्चे को जहर खिलाने के बाद उसने खुद खा लिया। पुलिस निगरानी में महिला का स्वस्थ॥ में इलाज चल रहा है। मृतक बच्चे की पहचान टेंगरांहा उत्तर टोला निवासी अखिलेश राम के बेटे आर्यन कुमार के रूप में हुई है। घटना मीनापुर प्रखंड अंतर्गत रामपुर हरि थाना क्षेत्र की है।

'बहू मेरे बेटे से झगड़ा करती थी': बच्चे के पिता पंजाब में मजदूरी करते हैं। दादा कैलाश राम ने बताया कि सात साल पहले अखिलेश की शादी आरती कुमारी से हुई थी। उनके बीच अक्सर विवाद होता रहता था। बहू आरती बिना बताए मायके चली जाती थी। 15 दिन पहले मायके गई थी और बुधवार शाम को वापस लौटी थी। गुरुवार दोपहर जब मजदूरी करने घर से बाहर गए थे, तब उसने बिस्कुट में जहरीला पदार्थ मिलाकर अपने ढाई साल के बेटे आर्यन को खिला दिया। बच्चे की तबीयत बिगड़ने पर जब वह रोने लगी, तो आसपास के लोग पहुंचे। लेकिन तब तक आर्यन की मौत हो चुकी थी।

जांच के लिए स्रस्कपहुंची: सूचना मिलते ही रामपुर हरि पुलिस मौके पर पहुंची। साक्ष्य जुटाने के लिए फोरेंसिक टीम को बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से नमूने एकत्र किए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMC॥ मुजफ्फरपुर भेज दिया है। प्राथमिक जांच में बच्चे के शरीर से जहर की दुर्गंध आने की बात सामने आई है।

जहर खिलाने से मौत की आशंका: वहीं, रामपुर हरि थानाध्यक्ष अंजली कुमारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया बच्चे की मौत जहर से होने की आशंका है।

बक्सर पुलिस के विशेष अभियान में 15 गिरफ्तार 116 लीटर से अधिक शराब बरामद

बक्सर,वेब वार्ता। बक्सर पुलिस की ओर से 19 अगस्त को जिले में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान विभिन्न मामलों में कुल 15 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की कार्रवाई के बाद सभी गिरफ्तार आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अभियान के दौरान अपराध नियंत्रण के साथ-साथ शराब तस्करी एवं वारंटियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जारी रिपोर्ट के अनुसार, अपराध के मुख्य शीर्ष कांडों में एक आरोपित की गिरफ्तारी हुई। शराब से संबंधित मामलों में सेवन करने के आरोप में सात तथा शराब बरामदगी के मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान पुलिस ने कुल 82.28 लीटर विदेशी शराब एवं 33.8 लीटर देसी शराब, यानी 116.08 लीटर शराब बरामद की। इसके अलावा पुलिस ने एक देसी कट्टा, एक कारतूस और दो मोटरसाइकिल भी बरामद की। अभियान के दौरान विभिन्न मामलों में 27 वारंटों का निष्पादन किया गया, जबकि तीन कुर्की वारंटों पर भी कार्रवाई हुई। वारंट में चार आरोपितों की गिरफ्तारी की गई। वहीं, वाहन जांच अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों से 27,500 रुपये जुर्माना वसूला गया। बक्सर पुलिस ने बताया कि अपराध नियंत्रण, शराबबंदी के प्रभावी क्रियान्वयन तथा फरार आरोपितों की गिरफ्तारी को लेकर जिले में विशेष अभियान लगातार जारी रहेगा।



ष्टष्ट के विरोध में उतरा मुस्लिम समाज

विधानसभा कूच से पहले ही रोका, धार्मिक सभा में सरकार से कानून लागू नहीं करने की मांग की

जयपुर। राजस्थान में प्रस्तावित यूनिफॉर्म सिविल कोड **(UCC)** के विरोध में मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर उतरे। शुक्रवार को मुस्लिम समाज ने मोती डूंगरी रोड स्थित मुसाफिर खाने में बड़ी धार्मिक सभा का आयोजन किया। सभा में बड़ी संख्या में महिला-पुरुष शामिल हुए।

वक्ताओं ने **UCC** को लेकर अपनी आपत्तियां रखते हुए राज्य सरकार से कानून लागू नहीं करने की मांग की। इस दौरान समुदाय से जुड़े धार्मिक और सामाजिक मुद्दों को लेकर भी चर्चा की गई। सभा में सामाजिक, धार्मिक और मानवाधिकार संगठनों के साझा मंच ने प्रस्तावित कानून को लेकर अपनी आपत्तियां रखीं। मंच ने सरकार से ष्टष्ट के प्रस्ताव पर विस्तृत श्वेतपत्र जारी करने और कानून बनाने से पहले संबंधित समुदायों, महिला संगठनों, विधि विशेषज्ञों, धार्मिक विद्वानों और सिविल सोसाइटी से व्यापक परामर्श करने की मांग की। विरोध में मुस्लिम समाज के लोगों ने विधानसभा कूच भी किया, हालांकि, पुलिस ने उन्हें एमडी रोड पर ही समझाइश के बाद राज्यपाल के नाम ज्ञापन लिया।

बिहार में मानसून कमजोर पड़ा:पटना में उमस बरकरार 35 डिग्री पहुंचा तापमान; अगले 7 दिन बारिश के

पटना,वेब वार्ता। बिहार में मानसून फिलहाल कमजोर पड़ा है, लेकिन अगले कुछ दिनों में बारिश का दौर फिर बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को पटना में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.3 डिग्री अधिक है। न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री रहा, जो सामान्य से 1.4 डिग्री अधिक है। दिनभर उमस के कारण लोगों को गर्मी का अहसास हुआ। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों तक पटना समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि, अगले सात दिनों में राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार बने हुए हैं। पटना समेत दक्षिण-मध्य बिहार में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है।



39 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवा: भोजपुर, पटना और वैशाली में 39 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चली। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में 30-40 किमी की रफ्तार से झोंकेदार हवा और गरज-चमक की संभावना जताई है। 24 घंटों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश : पिछले 24 घंटों में मानसून कमजोर रहा। उत्तर-मध्य, उत्तर-पूर्व और दक्षिण-पश्चिम बिहार के कुछ स्थानों तथा अन्य हिस्सों में एक-दो जगह हल्की से मध्यम बारिश हुई। सुपौल के पिपरा में सबसे अधिक 25.2 मिमी बारिश दर्ज की गई। झंझारपुर में 20.4, कोडावनपुर में 14.6, बैंकटवा और कुटुंबा में 14.2-14.2 तथा इंद्रपुरी में 13 मिमी बारिश हुई। 22 से 25 तक जिलों में बारिश के आसार : 22 अगस्त को पूर्वी व पश्चिमी चंपारण, किशनगंज और 23 को भागलपुर, बक्सर, गोपालगंज, रोहतास, सीवान में भारी बारिश हो सकती है। 24 अगस्त को बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, नालंदा, समस्तीपुर, वैशाली तथा 25 अगस्त को पूर्वी व पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज में भारी बारिश का पूर्वानुमान है।

जुड़वा बच्चों को जन्म देने के बाद महिला की मौत

परिजन ने डॉक्टर पर लापरवाही का लगाया आरोप, अस्पताल में किया हंगामा

मोतिहारी,वेब वार्ता। मोतिहारी के अगरवा स्थित निजी क्लिनिक में जुड़वा बच्चों को जन्म देने वाली एक महिला की ऑपरेशन के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। सूचना पर पहुंची नगर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतका की पहचान बंजरिया थाना क्षेत्र के चैलाहा गांव निवासी अरविंद कुमार की पत्नी विनीता कुमारी(22) के रूप में हुई है। उन्हें तीन दिन पहले प्रसव के लिए अगरवा स्थित डॉ. नीना झा के क्लिनिक में भर्ती कराया गया था। ऑपरेशन के बाद विनीता ने दो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जो पूरी तरह स्वस्थ बताए जा रहे हैं।

प्रसव के दूसरे दिन महिला की बिगड़ी तबीयत: मृतका के देवर ने आरोप लगाया कि प्रसव के दूसरे दिन देर रात विनीता की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। इसकी जानकारी कई बार अस्पताल के डॉक्टर और कंपाउंडर को दी गई, लेकिन किसी ने समय पर आकर मरीज को नहीं देखा। परिजनों का कहना है कि अस्पताल कर्मी केवल यह कहते रहे कि 'पानी चढ़ रहा है' और चिंता की कोई बात नहीं है। जब महिला की हालत अत्यंत गंभीर हो गई, तब डॉक्टर पहुंचे और प्राथमिक उपचार के बाद उसे रेफर कर दिया। परिजन विनीता को तत्काल रहमानिया अस्पताल ले गए, जहां जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया।

आक्रोशित परिजन ने डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की: इसके बाद आक्रोशित परिजन शव को लेकर पुनः डॉ. नीना झा के क्लिनिक पहुंचे और लापरवाही बरतने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा किया। हंगामे की सूचना पर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत कराया। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है।

MANAPPURAM FINANCE LTD.
CIN : L65910KL1992PLC006623
Registered Office: W - 4/ 638A, Manappuram House, P.O. Valapad, Thrissur - 680 567, Kerala, India

निलामी सूचना

विशेषकर गिरवीकर्ताओं और सामान्य रूप में जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अकाउंट्स में रखे गए सोने के आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी निम्नलिखित शाखाओं पर दिनांक 16.09.2026 को सुबह 10.00 बजे से किया जाएगा. हम ऐसे डिफॉल्टर ग्राहकों के सोने के आभूषणों की नीलामी करने जा रहे हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सूचित किए जाने के बावजूद अपने लोन की रकम नहीं चुकाई है. जिन आयटम्स की नीलामी नहीं हो पाएगी, उनकी नीलामी किसी अन्य दिन बिना पुन: सूचना दिए की जाएगी. नीलामी के स्थान व तिथि (अगर कोई हो) में परिवर्तनों की कोई सूचना नीलामी केन्द्र या वेबसाइट पर लगाई जाएगी तथा इस बारे में कोई अन्य सूचना नहीं दी जाएगी.

गिरवियों की सूची :

भरतपुर, भरतपुर, 0138080700003322, 3323, 3352, 3358, 3362, 3373, 0138080730016245, 6259, 6283, 8879, 8898, 8906, 8931, 8933, 8939, 8940, 8941, 8942, 8969, 8971, भरतपुर राजस्थान, 0135690700011009, 1742, 1752, 1759, 1797, 1806, 0135690730050228, 0248, 0253, 0271, 0286, 0293, 0295, 0328, 0333, 0341, 0344, 0352, 0358, 0360, 0364, 0388, भरतपुर, 0138000700003052, 3660, 3668, 3674, 3688, 3690, 3701, 3709, 3714, 3722, 3723, 3725, 3736, 3739, 3740, 3741, 3744, 3748, 3757, 3760, 0138000730021966, 5825, 5826, 5831, 5842, 5844, 5863, 5871, 5880, 5881, 5883, 5884, 5885, 5886, 5887, 5888, 5918, 5924, 5930, 5941, 0128, कोटा, गुमान पुरा, 0112700700035201, 5994, 6143, 6279, 6284, 6289, 6302, 6310, 6313, 6331, 6364, 7440, 7448, 7472, 7482, 7494, 7514, 7518, 7528, 7530, 7546, 7555, 7562, 7568, 7575, 7586, 7587, 7591, 0112700730067479, 7554, 7573, 7617, 3605, 3637, 3645, 3665, 3674, 3677, 3678, 3687, 3690, 3691, 3696, 3698, 3701, 3713, 3719, 3728, 3730, 3737, 3741, 3752, 3753, 3757, 3764, 3766, 3767, 3771, 3776, 3777, 3778, 3783, 3785, 3786, 3789, 3791, 3792, 3795, 3798, 3804, 3806, 3813, 3817, 3823, 3830, 3832, 3833, 3835, 3839, 3840, 3844, 3848, 3849, 3850, 3862, 3900, 3902, केशवपुरा कोटा, 0114320700025620, 6467, 6742, 6774, 6775, 7817, 7833, 7838, 7849, 7868, 7870, 7871, 7874, 7878, 7887, 7896, 7906, 7925, 7926, 7937, 7947, 7952, 7957, 7960, 7963, 0114320730051679, 1929, 2099, 2192, 2220, 2224, 2304, 9910, 9933, 9942, 9947, 9948, 9949, 9965, 9972, 9989, 9999, 0001, 0003, 0011, 0032, 0035, 0037, 0038, 0039, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0078, 0082, 0090, 0091, 0095, 0101, 0102, 0103, 0110, 0115, 0116, 0122, 0123, 0124, 0143, 0145, 0167, 0168, 0170, 0173, 0176, 0182, 0194, 0199, 0204, 0207, 0208, कोटा जंक्शन, 0112630700030377, 0878, 1058, 1194, 1213, 1221, 1271, 1287, 2415, 2425, 2433, 2440, 2447, 2473, 2482, 2483, 2486, 2488, 2489, 2490, 2491, 2515, 2518, 2527, 2537, 0112630730047001, 7102, 7131, 2375, 2379, 2380, 2414, 2427, 2428, 2434, 2448, 2450, 2459, 2461, 2463, 2464, 2465, 2466, 2478, 2479, 2494, 2511, 2514, 2519, 2520, 2524, 2532, 2546, 2551, 2554, 2555, 2557, 2558, 2561, 2566, 2570, 2585, 2596, 2597, 2600, 2610, 2613, 2615, 2619, 2620, 2639, 2646, 2648, 2655, 2663, 2678, 2685, 2696, 0233, नयापुरा कोटा, 0112380700028996, 9052, 9080, 9092, 0224, 0254, 0267, 0300, 0331, 0336, 0340, 0344, 0349, 0112380730043513, 0241, 0265, 0279, 0280, 0283, 0288, 0304, 0316, 0326, 0327, 0331, 0339, 0359, 0360, 0378, 0396, 0413, 0414, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0428, 0429, 0435, 0451, 0459, 0470, 0485, 0498, 0503, 0534, 0541, 0543, 0546, 0547, 0548, 0554, 0573, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, 0135230700009242, 9254, 9268, 9285, 9305, 0135230730051583, 4628, 4632, 4633, 4645, 4664, 4670, 4675, 4676, 4678, 4682, 4683, 4706, 4714, 4730, 4733,

ऊपर बताई गई नीलामी में हिस्सा लेने के इच्छुक व्यक्तियों को नीचे दी गई बातों का पालन करना होगा: इच्छुक बोली लगाने वालों को नीलामी के दिन ही एनईएफटी/आरटीजीएस के ज़रिए 10,000/- रुपये ईएमडी (जो बोली हारने वालों को वापस कर दिया जाएगा) जमा करना होगा। बोली लगाने वालों के पास वैध आईडी कार्ड/पैन कार्ड होना चाहिए। ज़्यादा जानकारी के लिए कृपया 9072607147 पर संपर्क करें।

अधिकृत अधिकारी
मणप्पुरम फायनेंस लि. हेतु.

चीनी मिलों को बिजली उत्पादन में राहत: गन्ने की खोई से 2 मेगावाट बिजली उत्पादन का लगा सकेंगे प्लांट बिजली खरीद का समझौता 15 साल से घाटा 5 वर्ष किया गया

पटना,वेब वार्ता। बिहार में अब गन्ने की खोई से 2 मेगावाट बिजली उत्पादन का प्लांट लगा सकेंगे। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने छोटे प्लांट को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला सुनाया है। अबतक 5 मेगावाट बिजली उत्पादन का प्लांट लगाने की अनुमति थी। इसके साथ ही आयोग ने बिजली खरीद का समझौता 15 साल से घटाकर 5 साल कर दिया है। वजह, गन्ने की खोई के दाम और खर्च समय के साथ बदलते रहते हैं।

इस फैसले से उत्पादक बिना किसी जोखिम के कम दरों पर बिजली दे सकेंगे। आयोग के अध्यक्ष अमीर सुबहानी और सदस्य पीएस यादव व मनोज कुमार की पीठ ने बिजली होल्डिंग कंपनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया है। इस नए आदेश से साउथ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लिए गन्ने की खोई (बगास) से बनने वाली 100 मेगावाट बिजली की खरीद सहज होगी।



सालाना बिजली सप्लाई का लक्ष्य आधा किया: पहले बिजली बनाने वाले संयंत्रों के लिए सालभर में अपनी कुल क्षमता की 53% बिजली देना अनिवार्य था। लेकिन, गन्ने की पेराई का काम केवल सीजन (अक्टूबर से फरवरी) में ही होता है। इसलिए सालभर बिजली बनाना मुमकिन नहीं है। इसे व्यावहारिक बनाते हुए आयोग ने न्यूनतम सालाना सप्लाई का लक्ष्य घटाकर 25% कर दिया है। लक्ष्य पूरा नहीं होने पर बची हुई बिजली की कमी पर तय दर का आधा जुर्माना लगेगा। इन प्लांटों से उत्पादन होने वाली बिजली सीधे ट्रांसमिशन ग्रिड जाएगी।

एक से अधिक बोलियां मंजूर: अगर किसी कंपनी के पास एक से अधिक चीनी मिलें या प्लांट हैं, तो वह हर मिल के लिए अलग से बोली लगा सकती है। पहले केवल एक ही बोली लगाने की छूट थी। इसका सीधा फायदा आमलोगों को मिलेगा। बिजली बनाने वाली अधिक कंपनियां टेंडर में हिस्सा लेंगी। इससे बाजार में मुकाबला बढ़ेगा और सरकारी कंपनियों को कम दामों पर बिजली मिल सकेगी। जिसका सीधा फायदा आम उपभोक्ताओं को सस्ती और पर्यावरण-अनुकूल बिजली के रूप में मिलेगा।

● वर्तमान में बिहार में 8 चीनी मिलों में गन्ने की खोई से बन रही बिजली

वर्तमान में बिहार में 8 चीनी मिलों में गन्ने की खोई से 120-130 मेगावाट बिजली बन रही है। सीजन में इनसे रोजाना 50-70 मेगावाट बिजली ग्रिड को मिलती है। पश्चिम चंपारण स्थित हरिनगर में 28.5 मेगावाट, नरकटियागंज में 20 मेगावाट, बगहा में 12 मेगावाट, पूर्वी चंपारण स्थित मझौलिया में 10 मेगावाट, समस्तीपुर में हसनपुर में 6 मेगावाट, एवपीसीएल लौरिया और सुगौली में 20-20 मेगावाट और

बीकानेर शहर के जल उपभोक्ता अब फोनपे ऐप से घर बैठे जमा कर सकेंगे पानी का बिल

बीकानेर, 21 अगस्त। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर वृत्त बीकानेर द्वारा शहर के समस्त जल उपभोक्ताओं के लिए पानी के बिल का ऑनलाइन भुगतान करने की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इसके तहत उपभोक्ता अब फोनपे **(PhonePe)** ऐप के माध्यम से घर बैठे किसी भी समय अपने पानी के बिल की बकाया राशि का ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे।

अधीक्षण अभियंता श्री जे.के. चारण ने बताया कि जानकारी के अभाव में अनेक उपभोक्ता इस सुविधा का पर्याप्त लाभ नहीं ले पा रहे हैं और उन्हें अभी भी जलदाय विभाग के कार्यालय अथवा ई-मित्र केंद्र पर जाकर बिल की राशि जमा करवानी पड़ती है। विभाग ने सभी जल उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे डिजिटल सुविधा का अधिकाधिक उपयोग करें।

अब 24 अगस्त तक ज्वाइनिंग कर सकेंगे अधिकारी-कर्मचारी

जयपुर। प्रदेश में आचार संहिता लगने के कारण उन राज्य कर्मचारियों, अधिकारियों की परेशानी बढ़ गई, जिनके ट्रांसफर-पोस्टिंग चुनावी घोषणा से पहले हुए थे और उन्होंने नए पदों पर ज्वाइनिंग नहीं दी। ऐसे कर्मचारियों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन जारी की है। आयोग ने अब ऐसे अधिकारी-कर्मचारियों के लिए 24 अगस्त तक ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पूरी करने का समय दिया है। इसके साथ ही उन नवनियुक्त कर्मचारी, अधिकारी जिनका नियुक्ति आदेश आचार संहिता लगने से पहले हो गया और उन्होंने अब तक नौकरी ज्वाइन नहीं की, उनको सरकार या विभाग ज्वाइनिंग करवा सकती है।

ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों ने जयपुर घोषणापत्र जारी किया

पर्यटन लोगों को जोड़ता है, समुदायों के लिए अवसर पैदा कर सांस्कृतिक आदान-प्रदान को संभव बनाता है: श्री गजेंद्र सिंह शेखावत



जयपुर, 21 अगस्त। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की शुक्रवार को जयपुर में संपन्न हुई बैठक में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों के घोषणापत्र को पारित किया गया। यह जयपुर घोषणापत्र ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच पर्यटन सहयोग को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण ढांचा साबित होगा।

बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की। यह 2026 में भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स पर्यटन ट्रैक का समापन था, जिसे 'अनुकूलनीयता, नवाचार, सहयोग और संवहनीयता का निर्माण' विषय के तहत चलाया जा रहा है। बैठक में ब्रिक्स के नौ सदस्य देशों ने भाग लिया। इसमें श्री गुस्तावो कोस्टा फेलिसियांडो (पर्यटन मंत्री, ब्राजील), श्री रजा सालेही अमीरी (सांस्कृतिक विरासत, पर्यटन और हस्तशिल्प मंत्री, ईरान), सुश्री पेट्रिशिया डी लिले (पर्यटन मंत्री, दक्षिण अफ्रीका) और महामहिम अब्दुल्ला बिन तऊक अल मारी (अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री, संयुक्त अरब) अमीरात शामिल थे। साथ ही चीन, इथोपिया, इंडोनेशिया और रूस के प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख भी बैठक में मौजूद थे। इसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल में पर्यटन मंत्रालय के सचिव श्री भुवनेश कुमार, संयुक्त सचिव श्री हरिकिशोर एस. तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

जयपुर घोषणापत्र भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स पर्यटन कार्य समूह के चार विषयगत प्राथमिकताओं पर किए गए कार्य को दर्शाता है। ये प्राथमिकताएं हैं - एआई और पर्यटन, सतत और जिम्मेदार पर्यटन, पर्यटन कौशल और क्षमता निर्माण तथा पर्यटन आदान-प्रदान और निर्बाध यात्रा सुविधा। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों के सर्वसम्मति से अपनाए गए घोषणापत्र में पर्यटन में जिम्मेदार, सुरक्षित और मानव-केंद्रित एआई तथा डिजिटल प्रौद्योगिकियों की परिवर्तनकारी क्षमता को स्वीकार किया गया है। इसमें पर्यटन योजना, गंतव्य प्रबंधन, आगंतुक सेवाओं, बहुभाषी संचार और यात्रा सुविधा में सहयोग पर बल दिया गया है।यह सतत और समुदाय केंद्रित पर्यटन, प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा, पर्यटन निवेश और अवसंरचना, विविध पर्यटन उत्पादों के विकास और संवर्धन, निरंतर कौशल विकास और उन्नयन, उद्योग और शिक्षा जगत के बीच भागीदारी, पर्यटन डेटा और आंकड़ों के आदान-प्रदान, सर्वोत्तम प्रथाओं की साझीदारी तथा ब्रिक्स सदस्य देशों की अवाम के बीच मजबूत संबंधों पर जोर देता है।

बैठक में श्री शेखावत ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत की ओर देश की यात्रा में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें विकास को प्रमुख आर्थिक केंद्रों से आगे, कस्बों, गांवों और दूरदराज के क्षेत्रों तक ले जाने की अनूठी क्षमता है। उन्होंने कहा कि पर्यटन होटल और होमस्टे, टैक्सी आपरेटरों, गाइडों, कारीगरों, बुनकरों, किसानों, उद्यमियों और लाखों परिवारों के लिए अवसर पैदा करता है जिनकी आजीविका प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर इस क्षेत्र से जुड़ी हुई है। श्री शेखावत ने एक ऐसे पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के भारत के प्रयासों पर प्रकाश डाला जो आर्थिक तौर पर समृद्ध, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार, तकनीकी तौर पर सक्षम और संस्कृतिक रूप से प्रामाणिक हो। उन्होंने कहा कि पर्यटन अंतत: लोगों को जोड़ता है। यह समुदायों के लिए अवसर पैदा करता और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को संभव बनाता है। यह हमारे देशों के नागरिकों को सरकारों के बीच औचारिक संबंधों से आगे जाकर एक-दूसरे को समझने का अवसर देता है। पर्यटन मंत्रियों की बैठक के दौरान ही भारत ने ब्राजील, ईरान, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं।

इन बैठकों ने संबंधित मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडलों के साथ बातचीत और पर्यटन सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान किया। भारत की अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स पर्यटन ट्रैक पर एक पत्रकार वार्ता भी आयोजित की गई, जिसमें पर्यटन मंत्रियों की बैठक के परिणामों और जयपुर घोषणापत्र को अपनाने पर प्रकाश डाला गया।

जयपुर में सरकारी टीचर ने किया सुसाइड

ससुराल वाले बेटा नहीं होने का ताना मारते थे; पिता को कहा था- ये लोग मार डालेंगे

जयपुर, 21 अगस्त (का.सं.)। जयपुर में सरकारी महिला टीचर ने ससुराल वालों से परेशान होकर सुसाइड कर लिया। टीचर के बेटा नहीं होने पर ससुराल वाले ताना मारते थे। टीचर के पिता का कहना है कि बेटी ने फोन पर कहा था कि 'बेटा नहीं होने से ये लोग (ससुराल वाले) मुझे मार डालेंगे।'

मामला भट्टाबस्ती थाने का है। भट्टाबस्ती **SHO** सुरेंद्र कुमार सैनी ने बताया कि शास्त्री नगर के शिव कॉलोनी निवासी नीरू गुप्ता (40) ने सुसाइड किया है। वह रींगस के सरकारी स्कूल में टीचर थी। मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे स्कूल से घर लौटी थी। इसके बाद अपने कमरे में जाकर उसने सुसाइड कर लिया। परिवार के लोग शाम करीब 6:30 बजे कमरे में गए तो वह फंदे पर लटकी मिली।

फंदे से नीचे उतारकर परिजन उसे कांवटिया हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। टीचर के पिता पुष्करलाल गुप्ता निवासी परमहंस कॉलोनी मुरलीपुरा की शिकायत पर पुलिस ने टीचर के पति और ससुरालवालों पर सुसाइड के लिए उक साने का मामला दर्ज किया है।



सार्वजनिक सूचना / संबंध विच्छेद एवं दायित्व से मुक्त होने की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं मुकेश चौधरी पुत्र स्वर्गीय राजेंद्र सिंह निवासी सूरजमल नगर सेण्टल स्कूल के पास थाना मथुरा गेट, जनपद भरतपुर (राजस्थान), द्वारा यह सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि मेरे दोनो पुत्रगण व पुत्र वधू लाखन चौधरी व मौनू चौधरी एवं श्रीमती सपना फौजदार व श्रीमती रितु फौजदार से अपने समस्त प्रकार के पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक संबंध समाप्त कर दिये हैं तथा अच-अचल सम्पूर्ण सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है।

अत: आज दिनांक से उक्त दोनों व्यक्तियों से मेरा व मेरे परिवार का किसी भी प्रकार का कोई संबंध, सरोकार, लेन-देन अथवा जिम्मेदारी नहीं रहेगी। भविष्य में उक्त व्यक्तियों द्वारा किये गये किसी भी प्रकार के कार्य, व्यवहार, लेन-देन, वचनबद्धता अथवा दायित्व के लिए हम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होंगे और न ही हमारा उससे कोई संबंध माना जाए।

यह सार्वजनिक सूचना समस्त संबंधित व्यक्तियों, संस्थाओं एवं जनसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जा रही है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की भ्रांति उत्पन्न न हो।

NAMDEV FINVEST
Har Pal Aap Ke Saath... Hum Badlenge Apni Duniya

नामदेव फिनवेस्ट लिमिटेड
(पूर्व में नामदेव फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
नामदेव हाउस, प्लॉट नं. 21, नीर सागर ए, भांकरोटा, जयपुर, राजस्थान

परिशिष्ठ -IV (देखें नियम 8 (1) कब्जा नोटिस

यत: (Whereas) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत एवं धारा 13 (12) सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नामदेव फिनवेस्ट लिमिटेड (पूर्व मे नामदेव फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के प्राधिकृत अधिकारी ने डिमाण्ड नोटिस दिनांक 17.12.2025 को मांग नोटिस जारी किया जिसमें ऋण खाता सं. 163824/168655 में ऋणी/यो/ जमानतदार/ बंधककर्ता श्री तेजपाल यादव,श्री सीताराम यादव,श्रीमती फूली देवी,मैसर्स मख्धर सीमन सर्विसेज C/o तेजपाल यादव,श्री जगदीश प्रसाद यादव को नोटिस में उल्लेखित राशि रूपये 28,72,117/-(रुपये अट्ठाईस लाख बहत्तर हजार एक सौ सत्रह) ऋण दिनांक 16.12.2025 तक बकाया एवं से आगे का ब्याज लागतें एवं खर्चे पूर्ण भुगतान होने की दिनांक तक इस नोटिस की पावती की तारीख से 60 दिनों के भीतर करने के लिए कहा गया था।

ऋणी/जमानतदार/बंधककर्ता द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल रहने पर, ऋणी/जमानतदार/ बंधककर्ता एवं आमजन को यह नोटिस दिया जाता है कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के नियम 8 सहित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,एतद्वारा ऋणी और आम लोगों को यह नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने नीचे उल्लेख की गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा तारीख 20.08.2026 को प्राप्त कर लिया है।

ऋणी/बंधककर्ताओं को विशेष रूप से एवं आम जनता को एतद्वारा सावधान किया जाता है कि इस संपत्ति बाबत कोई संव्यवहार नहीं करें और इस सम्पत्ति के बाबत किया गया कोई भी संव्यवहार नामदेव फिनवेस्ट लिमिटेड (पूर्व मे नामदेव फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के राशि रूपये 35,86,684/-(रुपये पैंतीस लाख छियासी हजार छह सौ चौरासी मात्र) ऋण दिनांक 19.08.2026 तक ब्याज एवं खर्चों की राशि के पूर्ण भुगतान के अध्यधीन होगा। ऋणियों का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के उपबंधों की ओर, आकृष्ट किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण प्रतिभूतियों की अनुसूची -I:

संपत्ति के सभी अंश एवं हिस्से जिसमे खसरा संख्या 1158/492 और 1163/1142 जो ग्राम कनारपुरा, पटवार हल्का घिनोई, तहसील चौमूं, जिला जयपुर, राजस्थान में स्थित जिसका कुल क्षेत्रफल 3032 वर्गमीटर जो श्री तेजपाल यादव पुत्र श्री सीताराम यादव के नाम से है। सीमाएं:-उत्तर: सुखदेव जी की भूमि दक्षिण: धन्नी देवी, अन्नू, रेखा, रेणुका एवं मनीष की भूमि पूर्व:आम रास्ता पश्चिम: कैलाश, शंकर, हनुमान एवं दिनेश की भूमि

वास्ते नामदेव फिनवेस्ट लिमिटेड
(पूर्व मे नामदेव फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
(प्राधिकृत अधिकारी)

दिनांक 20.08.2026 स्थान: चौमूं, जिला जयपुर

---

pnb Housing Finance Limited Ghar Ki Baat

रजि. कार्यालय: 9वीं मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001, फोन: 011-23357171, 23357172, 23705414 वेबसाइट:-www.pnbhousing.com

बी.ओ. खराड़ी- तीसरी मंजिल, गगनलक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, सर्वे नंबर 08, हड़पसर खराड़ी बाईपास रोड, खराड़ी, पुणे, महाराष्ट्र - 411014

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित अधिनियम 2002 के अध्याय 11 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित, दिनांकानुसार संशोधित।

हम, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (जिसे आगे ''पीएनबीएचएफएल'' कहा गया है), ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (जिसे आगे ''अधिनियम'' कहा गया है) के अध्याय 13(2) के तहत अपने खाफताडी कार्यालय, तीसरी मंजिल, गगियावक्सल कॉम्प्लेक्स, सर्वे संख्या 08, हड़पसर खराड़ी बाईपास रोड, खराड़ी, पुणे, महाराष्ट्र- 411014 द्वारा मांग नोटिस जारी किया है। उक्त मांग नोटिस हमारे अधिकृत अधिकारी के माध्यम से आप सभी नीचे उल्लेखित उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं/गारंटरों को जारी किया गया है, क्योंकि किसी/ब्याज के भुगतान न करने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक/राष्ट्रीय आवास बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आपके खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसमें फूलधन, ब्याज आदि की किस्तों के भुगतान में आपके द्वारा की गई चूक का विवरण है। बकाया राशि नीचे दी गई है। इसके अलावा, हम मानते हैं कि आप मांग नोटिस की तामील से बच रहे हैं और इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत आवश्यक मांग नोटिस प्रकाशित किया जा रहा है। आपको इस मांग नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर पीएनबीएचएफएल को उपरोक्त राशि ब्याज और प्रभार सहित भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा पीएनबीएचएफएल उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के सभी या किसी भी प्रावधान के तहत, उधारकर्ताओं और गारंटरों की सभी या किसी एक या अधिक गिरवी संपत्तियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करेगा, जिसमें उधारकर्ताओं और गारंटरों की गिरवी संपत्तियों पर कब्जा करना भी शामिल है। कृपया वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर ध्यान दें, जिसके तहत आप सार्वजनिक नीलामी, निविदा आमंत्रण, जनता से निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री की सूचना प्रकाशित होने की तिथि तक ही पीएनबी एचएफएल द्वारा किए गए सभी लागतों, शुल्कों और व्ययों सहित बकाया राशि का पूरा भुगतान कर सकते हैं। कृपया यह भी ध्यान दें कि यदि सार्वजनिक नीलामी, निविदा आमंत्रण, जनता से निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री की सूचना प्रकाशित होने से पहले पीएनबी एचएफएल द्वारा किए गए सभी लागतों, शुल्कों और व्ययों सहित बकाया राशि का पूरा भुगतान नहीं किया जाता है, तो आप उसके बाद सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा, उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के तहत आपको उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को बिक्री, पट्टे या किसी अन्य तरीके से हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है।

लोन अकाउंट नंबर	उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता का नाम और पता	गारंटर का नाम और पता	गिरवी रखी गई संपत्ति (यों)	मांग सूचना की तारीख	डिमांड नोटिस की तारीख पर बकाया राशि
HOU/KRDI/0518/534363 B.O.: खराड़ी	श्री/श्रीमती संदीप सिंह (ऋणकर्ता) और श्री/श्रीमती इंद्रावती सिंह (सह-ऋणकर्ता) - पता - फ्लैट संख्या ब 105, दूसरी मंजिल, संजुदा कॉम्प्लेक्स, धमालवाड़ी, हडपसर, लिटिल फ्लावर इंग्लिश मीडियम स्कूल के पास, पुणे, महाराष्ट्र, भारत, 412308 /एस/ओ अजीत सिंह लकी मंडल, स्कूल के पीछे, मालियोंग मोहल्ला, आँधीगिक क्षेत्र, बने बाजार, बीकानेर, राजस्थान, बीकानेर, राजस्थान, भारत 334001 / द क्वएड ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कार्यालय संख्या 13, साल मंगल, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के पास, वागफोल, पुणे, महाराष्ट्र, भारत, 412207 / बिल्डिंग सी, चौथी मंजिल, 404, ब्राइटअरिस्टो, गेट संख्या 144, वागफोल, पुणे 412207, केसनंद गांव रोड, पुणे, महाराष्ट्र-412207, भारत।	ना	बिल्डिंग सी, चौथी मंजिल, 404, ब्राइटअरिस्टो, गेट संख्या 144, वागफोल, पुणे 412207, केसनंद गांव रोड, पुणे, महाराष्ट्र-412207, भारत।	11.08.2026	रू. 28,24,300.06/- (अट्ठाइस लाख चौबीस हजार तीन सौ रुपये और छह पैसे मात्र)

स्थान: - बीकानेर दिनांक: - 22-08-2026 अधिकृत कार्यालय, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

केकड़ी नगर पालिका चुनाव को लेकर भाजपा की बैठक, 52 दावेदारों ने पेश की दावेदारी

नगर पालिका में भाजपा का बोर्ड बनाने का लिया संकल्प, चुनाव प्रभारी सुभाष वर्मा ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर जुटने का किया आह्वान



प्रभात अभिनन्दन न्यूज

केकडी, 21 अगस्त (दीपांकुर चौहान)। आगामी नगर पालिका चुनाव की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला महामंत्री एवं नगर पालिका चुनाव प्रभारी सुभाष वर्मा ने पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी तैयारियों पर चर्चा की। इस दौरान आगामी चुनाव में भाजपा को भारी बहुमत से विजयी बनाकर नगर पालिका में भाजपा का बोर्ड बनाने का संकल्प लिया गया।

चुनाव प्रभारी एवं जिला महामंत्री सुभाष वर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सभी को एकजुट होकर कमल के फूल को विजयी बनाने के लिए प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा कि एक वार्ड से टिकट के कई दावेदार हो सकते हैं, लेकिन पार्टी की ओर से टिकट केवल एक कार्यकर्ता को मिलेगा। जिसे भी पार्टी टिकट दे, सभी कार्यकर्ताओं को उसके साथ पूरी मजबूती से खड़े होकर उसे विजयी बनाने का प्रयास करना होगा।

बैठक के दौरान वार्डवार दावेदारों से आवेदन भी लिए गए। इस दौरान कुल 52 आवेदन प्राप्त हुए। पूर्व में वार्डों में नियुक्त किए गए पर्यवेक्षक भी बैठक में मौजूद रहे और उन्होंने अपने-अपने वार्ड की सर्वे रिपोर्ट चुनाव प्रभारी के समक्ष रखी। बैठक को जिला उपाध्यक्ष अमित भंसाली ने संबोधित करते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव के लिए कमर कस लेनी चाहिए और सामूहिक प्रयास से नगर पालिका केकड़ी में भाजपा का बोर्ड बनाने का लक्ष्य हासिल करना चाहिए।

इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता रामदेव माली, जिला प्रवक्ता सत्यनारायण चौधरी एवं पूर्व विधायक गोपाल धोबी ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बैठक में मंडल अध्यक्ष रितेश जैन, वरिष्ठ भाजपा नेता रामकिशन गुर्जर, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, युवा मोर्चा जिला महामंत्री देवराज सिंह सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।

बैठक का संचालन उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह शक्तावत ने किया।

जयपुर में 1.40 लाख की दवाइयों का स्टॉक पकड़ा

ड्रग कंट्रोल की छापेमारी, बिना लाइसेंस दवाई का स्टॉक रखने और बेचने पर एक्शन

जयपुर, 21 अगस्त (का.सं.)। जयपुर में ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने बिना लाइसेंस दवाइयों का स्टॉक रखने और बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। विभागीय टीम ने जांच के दौरान करीब 1.40 लाख रुपए कीमत की दवाइयों का स्टॉक पकड़ा।

इस दौरान टीम ने 3 अलग-अलग दवाइयों के सैंपल लेकर उनको टेस्ट के लिए लैब में भिजवा दिया है। जांच में यहां कुछ ऐसी दवाइयां भी मिली, जो एनडीपीएस एक्ट के तहत आती है। कार्रवाई वैशली नगर के पास चित्रकूट एरिया में की गई।

दवाई बेचने और स्टॉक रखने का नहीं मिला लाइसेंस

ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक ने बताया- चित्रकूट स्थित एक गोदाम में बिना लाइसेंस दवाओं के स्टोरेज और बिक्री की सूचना मिली थी। जिसके बाद हमने यहां असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर दिनेश कुमार तनेजा के निर्देशन में ड्रग कंट्रोल ऑफिसर राम प्रसाद कुमावत और सपना पारीक की टीम को भेजा। मौके पर टीम ने जब जांच की तो वहां मौजूद स्टाफ के पास दवाई बेचने और स्टॉक रखने का कोई लाइसेंस नहीं मिला। जांच में टीम को यहां अलग-अलग फार्मेसी के नाम से जारी बिल, इनवॉइस समेत अन्य डॉक्यूमेंट मिले, जिससे स्पष्ट हुआ कि यहां से दवाइयों की बिक्री भी की जाती है। जांच में मौके पर करीब 1.40 लाख रुपए की दवाइयों का स्टॉक मिला, जिसे जब्त किया।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, जिसका आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ विलय हो गया और जिसे वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)

सीआईएन: L65110TN2014PLC097792 पंजीकृत कार्यालय: - केआरएम टावर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई- 600031. फोन: +91 44 4564 4000 / फैक्स: +91 44 4564 4022

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत नोटिस

निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण का लाभ उठाया है। नीचे उल्लेखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित हैं। चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों के नियमों और शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, उनके ऋण को आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है। **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशि पर आगे ब्याज भी लागू होगा।

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13(2) नोटिस की तारीख	धारा 13(2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1.	121513638	प्रॉपर्टी के बदले लोन	31-जुलाई-2026	4,96,011.15/-

उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं का नाम: 1. ओम प्रकाश हार्डिन 2. संगीता ओम प्रकाश

संपत्ति का पता: वह सारा टुकड़ा और पार्सल पट्टा संख्या सहित प्लॉट. 15, पुस्तक सं. 50, मिसल नं. 129, प्लॉट क्षेत्र 65.16 वर्ग गज, ग्राम पंचायत: गगवाना, पंचायत समिति: नागौर, जिला: नागौर, राजस्थान-341027, **और सीमा इस प्रकार है: पूर्व: स्व भूमि, पश्चिम: स्व भूमि, उत्तर: स्व भूमि, दक्षिण: स्व भूमि और रास्ता**

आपसे कहा जाता है कि आप उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए ब्यौरे के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में ज्ञात)** को संबंधित तारीखों से अनुबंधित ब्याज दर और अन्य लागतों, प्रभारों आदि के साथ इस प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करें, ऐसा न करने पर नीचे हस्ताक्षरकर्ता को **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में ज्ञात)** को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लेखित बंधक संपत्तियों के खिलाफ एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) और धारा 14 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को बिक्री/पट्टे या अन्यथा रूप से स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया जाता है।

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 22.08.2026 आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, के साथ समामेलित
स्थान: राजस्थान आईडीएफसी बैंक लिमिटेड और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

सांकेतिक कब्जे की सूचना

ICICI Home Finance पंजीकृत कार्यालय: आईसीआईसीआई बैंक टावर्स, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई- 400051

कॉर्पोरेट कार्यालय: आईसीआईसीआई एचएफसी टावर, जेबी नगर, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई- 400059

शाखा कार्यालय: पहली मंजिल, दुकान नंबर 91-92, न्यू क्लॉथ मार्केट, श्री गंगानगर, राजस्थान 335001

शाखा कार्यालय: एस-32, जेडीए मार्केट, गोपालपुरा, मानसरोवर लिंक रोड, रिधि सिद्धि स्वीट्स के पास, जयपुर- 302018

जबकि

अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण, पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 के तहत आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े गए धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लेखित उधारकर्ताओं को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लेखित राशि का भुगतान करने के लिए मांग नोटिस जारी करता है।

चूंकि उधारकर्ता राशि चुकाने में विफल रहा, इसलिए उधारकर्ता और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। उक्त अधिनियम नीचे उल्लेखित तिथियों पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पढ़ा जाए। विशेष रूप से उधारकर्ता और सामान्य रूप से जनता को आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति का लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के शुल्क के अधीन होगा।

सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

क्र. सं.	उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता का नाम/ ऋण खाता संख्या	संपत्ति का विवरण/ कब्ज़ा की तिथि	सूचना मांग की तारीख /मांग सूचना	शाखा का नाम
1.	सोनू कुमारी (स्वर्गीय परवीन कुमार की पत्नी, कानूनी उत्तराधिकारी) (ऋणकर्ता), स्वर्गीय परवीन कुमार (सह-ऋणकर्ता), वी/15 वार्ड संख्या 02 श्रीविजय नगर श्रीगंगा नगर 335704 राजस्थान, **LHGAN**00001589946	चक 32 जीबी, एम.एन 3, प्लॉट नंबर 82, यादव कॉलोनी, श्री विजय नगर, तहसील श्री विजय नगर, जिला श्री गंगानगर 335704, राजस्थान। सीमाएँ: उत्तर में प्लॉट नंबर 81, दक्षिण में प्लॉट नंबर 83, पूर्व में सड़क, पश्चिम में प्लॉट नंबर 8 / कब्ज़ा प